न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/2018

अपीलांट

1. श्रीमति नबु पुत्री धरमाजी धर्मपत्नी पदमाजी, जाति कलबी, निवासी मारोल, तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. श्रीमति तलसी पुत्री धरमाजी धर्मपत्नी नाथाजी, जाति कलबी निवासी मारोल तहसील रेवदर, जिला सिरोही
3. श्री मति धुडी पुत्री धरमाजी धर्मपत्नी केसाजी, जाति कलबी निवासी मारोल तहसील रेवदर जिला सिरोही मृतक के उतराधिकारीगण
   1. तेजा पुत्र केसाजी जाति कलबी, निवासी मारोल तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2. रणछोड पुत्र केसाजी जाति कलबी, निवासी मारोल, तहसील रेवदर जिला सिरोही
   3. भगा पुत्र केसाजी जाति कलबी, निवासी मारोल तहसील रेवदर जिला सिरोही
   4. श्रीमति जतु पुत्री केसाजी धर्मपत्नी खीमाजी जाति कलबी निवासी मकावल तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. ओबाजी पुत्र खंगारजी जाति कलबी, निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. वेलाजी पुत्र खंगारजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही मृतक के उतराधिकारीगण–
   1. भीमा पुत्र वेलाजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2. केरा पुत्र वेलाजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही
   3. रामा पुत्र वेलाजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही
   4. वनाराम पुत्र वेलाजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।
   5. वालाराम पुत्र वेलाजी जाति कलबी निवासी रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित :—

1. श्री सूर्यवीर सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता अनुपस्थित

—: निर्णय :—

दिनांक : 10/02/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 59/2016 दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा वासन के खसरा नंबर 883 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामिल नहीं हुए। पत्रावली प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल हेतु नियत थी। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 21.06.2018 को अपीलांट को सूचना दिये बिना पत्रावली लोक अदालत अभियान— न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प वासण में रखकर बिना अपीलांट को जिरह, साक्ष्य, सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट का उदेश्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो का निस्तारण पक्षकारो के मध्य समझाईश में राजीनामा के माध्यम से किया जाना है और अगर पक्षकारो में राजीनामा की संभवाना न हो तो पत्रावली नियमित पेशी में नियत की जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गय अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा वासन के खसरा नंबर 883 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है।अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को कैम्प कोर्ट की सूचना दिये बिना आगामी पेशी दिनांक 21.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प वासण में रखकर बिना में रखकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अब उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या बिना आपसी सहमति के राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया जाना उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते वादी शहादत हेतु विचाराधीन था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 59/2016 दिनांक 21.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली